# विद्युत लोकपाल
## मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
## पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

**प्रकरण क्रमांक L00-23/14**

श्री पंचानन हलदर, — आवेदक
मुख्य प्रबंधक,
मेसर्स गेल इण्डिया लिमिटेड,
विजयपुर, जिला – गुना (म0प्र0)
पिन कोड – 473112

विरूद्ध

(1) प्रबंध संचालक,
म0प्र0 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.) – 462023

(2) अधीक्षण अभियंता (संचा./संधा.) वृत,
म0प्र0 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
स्टेशन रोड, गुना (म.प्र.) – 473001 — अनावेदकगण

(3) कार्यपालन यंत्री,
म0प्र0 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
डिवीजन राधौगढ़, जिला – गुना (म.प्र.) – 473287

(4) वरिष्ठ लेखाधिकारी,
म0प्र0 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
गुना (म.प्र.) – 473001

**पुनरीक्षित आदेश**
**(दिनांक 12.08.2015 को पारित)**

01 प्रकरण क्रमांक एल00–23/14 मेसर्स गेल इंडिया प्रा.लि. विरूद्ध प्रबंध संचालक, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी एवं अन्य 3 ने विद्युत लोकपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 9.3.2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 की कंडिका 5.3 के प्रावधान अनुसार माननीय आयोग में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था। माननीय आयोग ने अपने आदेश दिनांक 8.7.2015 में दिये निर्देश के अनुसरण में दिनांक 9.3.2015 के निर्णय में संशोधन किया जाना है।

02 माननीय आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों से अवगत कराने बाबत दोनों पक्षों को विद्युत लोकपाल कार्यालय में दिनांक 11.8.2015 को बुलाया गया ।

03 दोनों पक्षों को माननीय आयोग के निर्णय से अवगत कराने पर उभय पक्षों द्वारा इस निर्णय को स्वीकार किया गया।

04 प्रकरण के तथ्यों के अनुसार लोकपाल द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया था –

05 विद्युत नियामक आयोग ने उपभोक्ता को नवीन डी.जी. सेट दिनांक 14.05.2002 को स्थापित करने की जो अनुमति दी थी उस अनुमति की शर्तों के अनुसार उपभोक्ता के परिसर में स्थापित पूर्व के डी.जी. सेटों के आधार पर उपभोक्ता को अनावेदक से कुल आवश्यकता के 50 प्रतिशत की ऊर्जा अनावेदक से क्रय करना आवश्यक नहीं था । आयोग द्वारा आदेश में लिखित शर्तों का आशय यही था कि जब आवेदक नवीन डी.जी. सेट स्थापित करेगा उस समय से कुल मांग का 50 प्रतिशत ऊर्जा वह अनावेदक से क्रय करने के लिए बाध्य होगा । इस मामले में अनावेदक द्वारा 9000 के.वी.ए. का नया डी.जी. सेट स्थापित करने का साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है । कैप्टिव पावर नीति 2001 के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता से उपकर भी वसूल किया जाना साबित नहीं होता है, अतः महालेखाकार द्वारा जो आपत्ति उठाई गई थी मात्र उसके आधार पर उपभोक्ता को जो पूरक ऊर्जा देयक जारी किया गया था उसे किसी तरह से विधिसंगत होना नहीं पाया जाता है, अतः उक्त देयक में वर्णित राशि को अनावेदक उपभोक्ता से वसूल पाने के अधिकारी नहीं पाए जाते हैं ।

06 माननीय आयोग द्वारा एक प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन की केप्टिव पावर नीति 2001, विद्युत अधिनियम, 2003 के परिपाल में निम्न विधिक प्रावधानों से अवगत कराया है –

(i) विद्युत अधिनियम 2003 के लागू होने तथा उसमें विद्युत उत्पादन (Generation) को डिलाईसेंस होने के बाद, आयोग द्वारा आदेश दिनांक 14.05.2002 के द्वारा दी गई अनुमति निष्प्राय (infructuous) हो गई थी ।

(ii) प्रकरण के दस्तावेज यह दिखाते हैं कि उपभोक्ता ने 9000 केवीए का संबंधित प्लांट स्थापित नहीं किया, इसी कारण उसने इस प्लांट की स्थापना से संबंधित सूचना भी नहीं दी, अतः आयोग के आदेश दिनांक 14.05.2002 के द्वारा 9000 केवीए के उक्त प्लांट से संबंधित शर्तें भी निष्प्राय (infructuous) हो गई थी ।

(iii) क्योंकि 9000 केवीए का प्लांट स्थापित ही नहीं किया गया, अतः लाईसेंसी उक्त प्लांट से संबंधित कोई भी बिल जारी नहीं कर सकता था । अतः विद्युत लोकपाल का उक्त प्लांट से संबंधित आदेश दिनांक 09.03.2015 उचित प्रतीत होता है कि संबंधित बिल को निरस्त किया जाए ।

(iv) दिनांक 14.05.2002 से 10.06.2003 के मध्य उपभोक्ता द्वारा पूर्व में स्थापित 3 डी.जी. सेट्स (2 x 2.7 MW and 1 x 1.35 MW) का उपभोग किया गया, अतः लाईसेंसी इस समयकाल के दौरान उपभोक्ता द्वारा किए गए विद्युत उत्पादन एवं विद्युत उपभोग की समीक्षा कर सकता है एवं न्यूनतम 50 प्रतिशत विद्युत उपभोग से संबंधित शर्तों का पालन करवा सकता है ।

अतः माननीय आयोग द्वारा उनके आदेश दिनांक 8.7.2015 में दिये गये दिशा निर्देशों के परिपालन में निम्नानुसार निर्णय संशोधित किया जाता है –

(i) 9000 केवीए का प्लांट स्थापित ही नहीं किया गया, अतः अनुज्ञप्तिधारी उक्त प्लांट से संबंधित कोई भी बिल जारी नहीं कर सकता था । अतः इस संबंध में जारी किये गये बिल को निरस्त किया जाए ।

(ii) दिनांक 14.05.2002 से 10.06.2003 के मध्य मेसर्स गेल इंडिया प्रा.लि. द्वारा पूर्व में स्थापित 3 डी.जी. सेट्स (2 x 2.7 MW and 1 x 1.35 MW) का उपभोग किया गया, अतः अनुज्ञप्तिधारी इस समयकाल के दौरान उपभोक्ता द्वारा किए गए विद्युत उत्पादन एवं विद्युत उपभोग की समीक्षा कर सकता है एवं न्यूनतम 50 प्रतिशत विद्युत उपभोग से संबंधित शर्तों का पालन करवा सकता है ।

07 पुनरीक्षित आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

**विद्युत लोकपाल**

**प्रतिलिपि :**

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदकगण की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

**विद्युत लोकपाल**